संख्या-271/2025/831-41-1-2025-CN-1652253-2022

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव।
उतर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 22-मार्च, 2025

विषय:- जनपद अयोध्या में राम की पेड़ी स्थल पर लाईट एण्ड साउण्ड शो कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10737/6-1-1(पृ०सी०)/2024 25, दिनांक 17 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद अयोध्या में राम की पैड़ी स्थल पर लाईट एण्ड साउण्ड शो कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु उ०प्र० प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि० को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-775/2023/4874/001-CN-1652253-2022-47-Budget-2023. दिनांक 26.10.2023 द्वारा रू0 2372.10 लाख (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू० 300.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 966/2023/453404/001-41-1002-001-84-2022 CN-1652253, दिनांक 21.12.2023 द्वारा रू0 250.00 लाख की द्वितीय किश्त, शासनादेश संख्या 37/98/41-1-2024-सी०एन० 1652253- 2022-47-बजट-2023, दिनांक 12.01.2024 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-510/1167/41-1-2024-सी0एन0-1652253-2022-47 बजट-2023, दिनांक 30.03.2024 द्वारा वतुर्थ किश्त के रूप में रूप 184.12 लाख, तथा शासनादेश संख्या-821/2612/41-1-2024-सी0एन0-1652253-22 दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0 412.31 लाख (रू० 259.23 लाख जी०एस०टी० की धनराशि) कुल रू0 2146.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु षष्टम किश्त के रूप में जी०एस०टी० की धनराशि रू0 61.64 लाख (रू० इकसठ लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-775/2023/4874/001-CN-1652253-2022-47-Budget-2023, दिनांक 26.10.2023, शासनादेश संख्या-966/2023/453404/001-41-1002-001-84-2022-CN-1652253, दिनांक 21.12.2023, शासनादेश संख्या-37/98/41-1-2024-सी0एन0-1652253-2022-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

47-बजट-2023, दिनांक 12.01.2024, शासनादेश संख्या-510/ 1167/41-1-2024-सी०एन०-1652253-2022-47 बजट-2023, दिनांक 30.03.2024 एवं शासनादेश संख्या-821/2612/41-1-2024-सी०एन०-1652253-22 दिनांक 25 अक्टूबर, 2024 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(4) प्रश्नमत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की धनराशि कार्यदली संस्थाको वास्तविक भुगतान के अनुसार निरोपाइससम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा क्षण सहर कसे अनुमोदित जीएसटी भुगतान के सम्प्रामाणिक प्रनिदेशक पर्यटन के माणसे शासन की उपलब्ध कराया जायेगा। उका के अतिरिका लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्रापा कर शासन को उपयोगिता प्रम्हण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उन्नकोटि की ही तथा समय समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना की कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजना की षष्टम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराये हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्व होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेगे।

(13) सोलर लाइट और ऊपरीक अधिकरण (UPNCDA) से नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजनाको क्लोजर रिपोर्ट एकपक्ष के भीतर उपलब्ध करा जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में उका कुज्य की अनिता मान हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक अपर परियोजना प्रबंधक एवं ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूक्ना रिपोर्ट (एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय सम्बन्चित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 61.64 लाख (रु० इकसठ लाख नौसठ हजार मात्र) को बालू वित्तीय वर्ष 2024 25. के अनुदान संख्या 44 लेखाशीर्ष 5452801044900 उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अन्तर्गत प्राविधानित मानक मद 24 बृहत निर्माण कार्य के नामे ठाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आय व्ययक अनुभाग के शासनादेश संख्या 2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनाक 04.01.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1.प्रथान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3.निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन ।
4.जिलाधिकारी, अयोध्या ।
5.अपर आयुक्त (ग्रेड-1), वाणिज्य कर, अयोध्या मण्डल अयोध्या ।
6.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7.प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8.वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9.क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
10. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या मण्डल अयोध्या ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in